



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102020-222731
CG-DL-E-24102020-222731

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3374]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 24, 2020/कार्तिक 2, 1942

No. 3374]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24, 2020/KARTIKA 2, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2020

का. आ. 3803 (अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11(क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी किए जाने की तिथि से पैंतालीस [45] दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

दिल्ली मुख्य योजना-2021	
मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/आशोधन
अध्याय 12.0 : परिवहन	
मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों/टर्मिनलों के लिए विकास नियंत्रण: 3. निम्नलिखित संरचनाओं को प्रचालन संरचनाएं माना जाएगा: i. ग्रेड, एलिवेटेड और भूमिगत सहारे पर टिके हुए सभी मेट्रो स्टेशन और पटरी जिसमें प्रवेश संरचना, हाउस डी जी सेट के अनुषंगी भवन, शीतलन संयंत्र और विद्युत सब स्टेशन, आपूर्ति निकास और सुरंग हवादारी शाफ्ट इत्यादि शामिल हैं। ii. डिपो और अनुरक्षण कार्यशालाएं। iii. ट्रेक्शन सब स्टेशन। iv. प्रचालन नियंत्रण केंद्र। v. पुलिस स्टेशन। vi. प्रचालन और अनुरक्षण स्टाफ के लिए भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र। vii. केवल प्रचालन स्टाफ और मेट्रो सुरक्षा कर्मियों के लिए आवास। viii. मेट्रो परियोजना के निर्माण के लिए शुरू किए जाने वाले पुनर्वास कार्य। ix. जन सुविधाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेट्रो स्टेशनों में दुकानें। x. मेट्रो स्टेशनों के फुट प्रिंट के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर संरचना।	मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों/टर्मिनलों के लिए विकास नियंत्रण: 3. आर.आर.टी.एस/एम.आर.टी.एस के मामले में निम्नलिखित संरचनाओं को प्रचालन संरचना माना जाएगा। i. ग्रेड, एलिवेटेड और भूमिगत सहारे पर टिके हुए सभी स्टेशनों और पटरी जिसमें प्रवेश संरचना, हाउस डी जी सेट के अनुषंगी भवन, शीतलन संयंत्र और विद्युत सब स्टेशन, आपूर्ति निकास और सुरंग हवादारी शाफ्ट इत्यादि शामिल हैं। ii. डिपो और अनुरक्षण कार्यशालाएं। iii. ट्रेक्शन सब स्टेशन। iv. प्रचालन नियंत्रण केंद्र। v. पुलिस स्टेशन। vi. प्रचालन और अनुरक्षण स्टाफ के लिए भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र। vii. केवल प्रचालन स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के लिए आवास। viii. परियोजना के निर्माण के लिए शुरू किए जाने वाले पुनर्वास कार्य। ix. जन सुविधाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों में दुकानें। x. स्टेशनों के फुट प्रिंट के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर संरचना।

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

[सं.एफ 21(2)/2017-एमपी/पार्ट-I]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**(MASTER PLAN SECTION)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 24th October, 2020

S.O. 3803(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of **Forty Five (45) days** from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Modification:

MPD 2021	
Existing Provisions	Proposed Amendments/Modifications
Chapter 12.0: Transportation	
Development Controls for Metro Stations and Railway Stations / Terminals:	Development Controls for Metro Stations and Railway Stations / Terminals:
3. The following structures shall be treated as operational structures: - All Metro Stations and tracks supporting at grade, elevated and underground including entry structures, ancillary buildings to house DG sets, chilling plants and electric substation, supply exhaust and tunnel ventilation shafts etc. - Depots and maintenance workshops. - Traction sub-stations. - Operational Control Centers. - Police Station. - Recruitment and Training Centers for operational and maintenance staff. - Housing for operational staff and Metro security personnel only. - Rehabilitation work to be undertaken for the construction of Metro Project. - Shops in Metro Stations to cater to the public amenities. - Structures above platform over the foot print of the Metro Stations.	3. The following structures in case of RRTS / MRTS shall be treated as operational structures: - All Stations and tracks supporting at grade, elevated and underground including entry structures, ancillary buildings to house DG sets, chilling plants and electric substation, supply exhaust and tunnel ventilation shafts etc. - Depots and maintenance workshops. - Traction sub-stations. - Operational Control Centers. - Police Station. - Recruitment and Training Centers for operational and maintenance staff. - Housing for operational staff and security personnel only. - Rehabilitation work to be undertaken for the construction of Project. - Shops in Stations to cater to the public amenities. - Structures above platform over the foot print of the Stations.

2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx>.

[No. F. 21(2)/2017-MP/Pt-I]
D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.